

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल

क्र. /1368/238/26-2/2015/

भोपाल, दिनांक 5-10-2015

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त आयुक्त
नगर निगम, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत मध्यप्रदेश
5. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश

विषय :- राष्ट्रीय परिवार सहायता (NFBS) में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- परिपत्र क्रमांक/541/26-2/2013 दिनांक 25.4.2013

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय परिवार सहायता (NFBS) योजनांतर्गत पात्रता के मापदण्ड में मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 59 वर्ष से कम अंकित किया गया था जिसके स्थान पर निम्नानुसार पात्रता के मापदण्ड में संशोधन किया जाता है :-

" मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है," पढ़ा जावे।

130
5.10.15
(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

1369/D38

मुद्रांक क्रमांक / 26-2/2015/
प्रतिलिपि

भोपाल, दिनांक 5-1-2015

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग म0प्र0 भोपाल
4. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म0प्र0 भोपाल
6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म0प्र0 भोपाल
7. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, म0प्र0 भोपाल

अवर सचिव

म0प्र0 शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग